

प्राप्त - 30
Government Of Uttarakhand

(62)

Office Of the District Collector : Chamoli

5/08/2014

Dated 5/08/2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry Of Environment and forest (MOEF) , Government of India's letter No - 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short)on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.092 hect of forest land proposed to be diverted in favor of P W D Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Pajiyana- Gandiyal Motor Road 6.0Km Under P W D Gairsain (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Gairsain Tehsils .

It is further certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.092 hect of civil area proposed for diversion .A copy of records of all consultations and meetings of the forest Right Committees ,Gram Sabha(s) sub-Division Level committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers . there is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file .
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities .	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

(S.A. Murgeson, District Magistrate Chamoli)

प्रा.प-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ashok Kumar District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on ...29.1.2015... At 11.00 AM at Chamoli in which application claiming rights in Gairsain area measuring 1.98 hect for the construction of Pajiyana Ghandiyal M/R forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Gairsain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 29-1-2015


जिला अधिकारी
चमोली
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 6.00 किमी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैण

उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत घण्डियाल, रामडा को जोड़ने
हे० आरक्षित वन भूमि, ०.६७५ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि १.३४३ हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल
१.९९ हे० वन भूमि) का गैरसैण वि. गैरसैण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड
स्तरीय समिति, (तहसील गैरसैण) की दिनांक 15-11-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गैरसैण
जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में
माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री विश्व सिंह नेगी उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र लाल उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
श्री सुरेन्द्र लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी गैरसैण सदस्य/सचिव
श्री सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करने के बाद उपजिलाधिकारी की
प्रेरित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि
जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में पजियाणा घण्डियाल
मोटर मार्ग का विस्तार परियोजना हेतु 1.9.8 हे० वन भूमि

एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित
के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गैरसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट
जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार
आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी
प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत पजियाणा घण्डियाल
मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.9.8 हे० वन भूमि को एजेन्सी को जनहित में
जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- गैरसैण
जनपद- चमोली

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- गैरसैण
जनपद- चमोली

प्रपत्र-23-

परियोजना का नाम:- ~~खेती-खेती मोटर मार्ग का निर्माण~~ पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

ग्राम पंचायत का नाम:-

तहसील गैरसैण, जनपद-चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

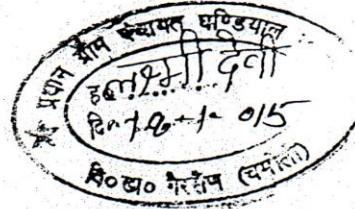
जनपद चमोली उत्तराखण्ड में गैरसैण- पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि-1:1:3:13 है0 सिविल वन भूमि-2:6:7 है0 कुल 1:1:2 है0 का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत... द्वारा दिनांक 18-1-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम... ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1:1:2 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0

ग्राम सचिव



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 18/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नाम:-

बालासो

क्र०सं०	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ-ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शम पसाद दिनकुलाडा / ग्रामालय राउ	शम पसाद
2	बिबाम्वर दत्त / राव दत्त	बिबाम्वर दत्त
3	राम रत्न-ड / हरक माठा	राम रत्न-ड
4	बलु माहन / नारायण डत्त	बलु माहन
5	बजरसिंह पुव / बिश्वसिंह	बजरसिंह
6	कुंवरसिंह " / कचनसिंह	कुंवरसिंह
7	मानसिंह " / लूतसिंह	मानसिंह
8	पानसिंह " / बिश्वसिंह	पानसिंह
9	कचनसिंह " / जमनासिंह	कचनसिंह
10	राजसिंह " / जमनासिंह	राजसिंह
11	क-दास " / जमनासिंह	क-दास
12	सीताराम " / भुवन्दराम	सीताराम
13	जीतसिंह " / देवीसिंह	जीतसिंह
14	शकरदत्त " / हरकमणी	शकरदत्त
15	चतुरसिंह " / जमनासिंह	चतुरसिंह
16	दिवानसिंह " / पदमसिंह	दिवानसिंह
17	ब-दास " / मुकेशसिंह	ब-दास
18	मधुसूदनसिंह " / मधुसूदन	मधुसूदन
19	रामसिंह " / अमरसिंह	रामसिंह
20	वलवलसिंह " / भवारासिंह	वलवलसिंह
21	वलवलसिंह " / पताषासिंह	वलवलसिंह
22	राजसिंह " / पदमसिंह	राजसिंह
23	बिबाम्वरसिंह " / मदनसिंह	बिबाम्वरसिंह
24	वामी देवी / शकरदत्त	वामी देवी
25	धनश्यामसिंह पुव / कृपानन्दसिंह	धनश्यामसिंह
26	आगा देवी / सुभाषसिंह	आगा देवी
27	दिवानी देवी " / रामसिंह	दिवानी देवी
28	विजयलक्ष्मी देवी " / कुंवरसिंह	विजयलक्ष्मी देवी
29	कमला देवी " / कृपानन्दसिंह	कमला देवी
30	शी-ली देवी " / कुंवरसिंह	शी-ली देवी
31	हीरा देवी " / शिवसिंह	हीरा देवी
32	अमला देवी " / जगदीशसिंह	अमला देवी
33	अमला देवी " / लालसिंह	अमला देवी
34	कुसुम देवी / लालराम देवी	कुसुम देवी
35	राधा देवी " / सदानन्द	राधा देवी
36	पिताम्बर दत्त पुव / गोपालदत्त	पिताम्बर दत्त

JE

सदस्य क्षेत्र पंचायत

ब्लॉक सं० 16 घण्टियाल मल्ल

वि० सं० गैरसैन (जमोली)

जिला पंचायत सदस्य
13 मालसी वार्ड
गैरसैन (जमोली)

AE



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- ~~खेती-सडोली मोटर मार्ग का निर्माण~~ पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

ग्राम पंचायत का नाम:-

तहसील गैरसैण, जनपद-चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में गैरसैण- पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि-1.1.3.1.3. है 0 सिविल वन भूमि-2.2.4.2.5 है 0 कुल 1.1.3.8. है 0 का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रामडा मूला द्वारा दिनांक 13.1.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रामडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.1.3.8. है 0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0

ग्राम सचिव



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलग्न किया जाना है।

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम:- पञ्जियाणा हाण्डियाल मोटर मार्ग का निर्माण, ल० (6.000km)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम मेहरगांव (रामड़ा मल्ला)
तहसील-गैरसैण, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

गैरसैण-पञ्जियाणा हाण्डियाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.675 हे० सिविल सोयम वन भूमि, 1.313 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.988 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मेहरगांव (रामड़ा मल्ला) द्वारा दिनांक 03/10/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लोक निर्माण विभाग गैरसैण द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मेहरगांव (रामड़ा मल्ला) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

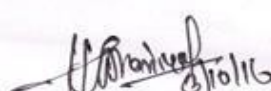
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ह०/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित




जिला पंचायत सदस्य
13 बालासी चार्ज
गैरसैण (चमोली)

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



प्रारूप-30.4

दिनांक २-10-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रामडा मठला / मिहरगाँव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	खीमानन्द जाला (सठ श्रेष्ठ पं०)	
(2)	बख्तावर सिंह (वन पं० सरपंच)	
3	विमल सिंह (सठ विविध वन पं०)	
4	दयाल सिंह	
5	गोविन्द राम शर्मा	
6	देव सिंह ईश्वर पं०	
7	बख्तावर सिंह प्रधान	
8	बगम सिंह	
9	शेर सिंह	
10	निवाला सिंह	
11	सावित्री देवी आठ भा० भा० व०	
12	निवाली देवी	
13	बिरा देवी बाईसदस्या	
14	हुमा देवी	
15	दीपा देवी	
16	बलवन्त सिंह	
17	गंगा सिंह	
18	नन्दन सिंह	

ह०/-

3/10/16
जिला पंचायत सदस्य
13 मालखी बाई
मेरसिंग (बर्मोली)

